पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर०ए०एस०)**

प्रकरण संख्या – 696/2023

अनवान : –

1. यासीन खां पुत्र मंगतु खां जाति छीपा (छीपी) निवासी ढीलकी जाटान तहसील नोहर

– वादी

बनाम्

1. बिस्मिला पुत्री मंगतु खां जाति छीपा (छीपी) निवासी ढीलकी जाटान तहसील नोहर ।
2. विमला उर्फ बिमला पुत्री मगतु खां जाति छीपा (छीपी) निवासी ढीलकी जाटान तहसील नोहर।
3. गुलाम मोहम्मद पुत्र रोशनी जाति छीपा (छीपी) निवासी ढीलकी जाटान तहसील नोहर।
4. नशीबा बानो पुत्री रोशनी जाति छीपा (छीपी) निवासी ढीलकी जाटान तहसील नोहर।
5. निवाज मोहम्मद पुत्र रोशनी जाति छीपा (छीपी) निवासी ढीलकी जाटान तहसील नोहर।
6. बरकत अली पुत्र रोशनी जाति छीपा (छीपी) निवासी ढीलकी जाटान तहसील नोहर।
7. सकीना पुत्री रोशनी जाति छीपा (छीपी) निवासी ढीलकी जाटान तहसील नोहर।
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

9. जानी मोहम्मद पुत्र मंगतु खां जाति छीपा (छीपी) निवासी ढीलकी जाटान तहसील नोहर।
10. फजलदीन पुत्र मंगतु खां जाति छीपा (छीपी) निवासी ढीलकी जाटान तहसील नोहर।
11. छोटु खां पुत्र मंगतु खां जाति छीपा (छीपी) निवासी ढीलकी जाटान तहसील नोहर।

– तरतीबी प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 696 सन 2023 निर्णय दिनांक 18/10/2023

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के [illegible] वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा [illegible] 12 जीजीएम तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2076–2079 के खाता संख्या 68/39 [illegible] कुल खसरे 124 की कुल [illegible] 26.5650 है0 भूमि एवं रोही मौजा 10 जीजीएम तहसील [illegible] के जमाबंदी सम्वत 20[illegible]74 के खाता संख्या 68/66 के कुल खसरे 31 का कुल क्षेत्रफल 4.4210 है0 भूमि एवं रोही मौजा

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:05:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with CamScanner

ढीलकी जाटान तहसील नोहर के खाता संख्या 159/159 के खसरा नं. 119 की कुल 10.7520 है0 भूमि तथा रोही मौजा 11 बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी राम्वत 2074-2077 के खाता संख्या 145/291 के कुल खसरे 25 का कुल क्षेत्रफल 6.3250 है0 भूमि एवं खाता संख्या 272/265 के कुल खसरे 49 का कुल क्षेत्रफल 9.5140 है0 भूमि उपरोक्त सभी खातो में प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 का नाम कलमजन किया जाकर वादी व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 9 ता 11 को ब0 हि0 ब0 का बतौर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं 11 बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 272/265 में तरतीवी प्रतिवादी संख्या 9 एवं 10 का नाम मुताबिक शीर्षक पूर्व में दर्ज भूमि में दुरूस्त किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 18/10/2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:05:43 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी का नाम : सत्यनारायण (आर०ए०एस०)

प्रकरण संख्या – 696/2023

अनवान : –

1. यासीन खां पुत्र मंगतु खां जाति छीपा (छीपी) निवासी ढीलकी जाटान तहसील नोहर
   – **वादी**

बनाम्

1. बिस्मिला पुत्री मंगतु खां जाति छीपा (छीपी) निवासी ढीलकी जाटान तहसील नोहर ।
2. बिमला उर्फ बिमला पुत्री मंगतु खां जाति छीपा (छीपी) निवासी ढीलकी जाटान तहसील नोहर।
3. गुलाम मोहम्मद पुत्र रोशनी जाति छीपा (छीपी) निवासी ढीलकी जाटान तहसील नोहर।
4. नशीबा बानो पुत्री रोशनी जाति छीपा (छीपी) निवासी ढीलकी जाटान तहसील नोहर।
5. निवाज मोहम्मद पुत्र रोशनी जाति छीपा (छीपी) निवासी ढीलकी जाटान तहसील नोहर।
6. बरकत अली पुत्र रोशनी जाति छीपा (छीपी) निवासी ढीलकी जाटान तहसील नोहर।
7. सकीना पुत्री रोशनी जाति छीपा (छीपी) निवासी ढीलकी जाटान तहसील नोहर।
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

9. जानी मोहम्मद पुत्र मंगतु खां जाति छीपा (छीपी) निवासी ढीलकी जाटान तहसील नोहर।
10. फजलदीन पुत्र मंगतु खां जाति छीपा (छीपी) निवासी ढीलकी जाटान तहसील नोहर।
11. छोटु खां पुत्र मंगतु खां जाति छीपा (छीपी) निवासी ढीलकी जाटान तहसील नोहर।

– **तरतीबी प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त० अधि० 1955

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक: 18/10/2023

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के [illegible] आशय का पेश किया है कि वादी एवं प्रतिवादीगण की दादा लाई [illegible] तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2076–2079 के [illegible] कुल खसरे 124 की कुल तादादी 26.5650 है० भूमि में से वादी, प्रतिवादीया संख्या 1 व 2 व [illegible]तीबी प्रतिवादी संख्या 9 ता 11 प्रत्येक 1/84 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 3 ता 7 प्रत्येक के 1/420 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:05:43 IST
Reason: Self Attested

Scanned with CamScanner

रिकार्ड है एवं रोही मौजा 10 जीजीएम तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071-2074 के खाता संख्या 68/66 के कुल खसरे 31 का कुल क्षेत्रफल 4.4210 है0 भूमि में से वादी, प्रतिवादीया संख्या 1 व 2 व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 9 ता 11 प्रत्येक के 1/42 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 3 ता 7 प्रत्येक के 1/210 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है एवं रोही मौजा ढीलकी जाटान तहसील नोहर के खाता संख्या 159/159 के खसरा नं. 119 की कुल 10.7520 है0 भूमि में वादी, प्रतिवादीया संख्या 1 व 2 व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 9 ता 11 प्रत्येक के 1/84 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 3 ता 7 प्रत्येक के 1/420 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा रोही मौजा 11 बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2074-2077 के खाता संख्या 145/291 के कुल खसरे 25 का कुल क्षेत्रफल 6.3250 है0 भूमि में से वादी, प्रतिवादीया संख्या 1 व 2 व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 9 ता 11 प्रत्येक के 1/7 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 3 ता 7 प्रत्येक के 1/35 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है एवं खाता संख्या 272/265 के कुल खसरे 49 का कुल क्षेत्रफल 9.5140 है0 भूमि में से वादी, प्रतिवादीया संख्या 1 व 2 व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 9 ता 11 प्रत्येक के 1/63 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 3 ता 7 प्रत्येक के 1/315 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है। वादी के पिता मंगतु खां पुत्र फुसे खां का स्वर्गवास हो चुका है जिसके बाद उपरोक्त भूमि वादी, प्रतिवादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण के विरासतन दर्ज हो चुका है।

प्रतिवादीया संख्या 1 ता 2 जो कि वादी की बहिने है तथा प्रतिवादीया संख्या 3 ता 7 जो की वादी की मृतक बहिन रोशनी पुत्री मंगतु खा के वारिस है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहते तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह वादी व तरतीवी प्रतिवादीगण संख्या 9 ता 11 के पक्ष में ब0 हि0 ब0 परित्याग कर चुकी है इस प्रकार से प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 का उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा शेष नहीं बचा है बाद हक त्याग उपरोक्त भूमि सभी खातो में वादी व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 9 ता 11 ब0 हि0 ब0 काबिज वादी जिसकी न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के [illegible] तरतीवी प्रतिवादीगण संख्या 9 ता 10 ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इ[illegible] ज[illegible] पेश कर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री कि[illegible] कोई ऐतराज नही है। अधिवक्ता वादी ने प्रतिवादीगण संख्या 11 को तर्क अंकित किया किया प्रतिवादी सं0 11 का जो भी हक हिस्सा है उसे दिया जा रहा है। प्रतिवादी संख्या 8 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:05:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिरा पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षसुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अर्जीदावा के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जो की वर्तमान में वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 ने अपना हक हिस्सा वादी एवं तरतीवी प्रतिवादीगण संख्या 9 ता 11 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। वादी के वाद के संबंध में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 व 9 ता 11 द्वारा इकबाल जवाब पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई ऐतराज नही है अतः वादी का वाद डिक्री फरमावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रकरण में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 12 जीजीएम तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2076–2079 के खाता संख्या 68/39 के कुल खसरे 124 की कुल तादादी 26.5650 है0 भूमि में से वादी, प्रतिवादीया संख्या 1 व 2 व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 9 ता 11 प्रत्येक के 1/84 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 3 ता 7 प्रत्येक के 1/420 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है एवं रोही मौजा 10 जीजीएम तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–2074 के खाता संख्या 68/66 के कुल खसरे 31 का कुल क्षेत्रफल 4.4210 है0 भूमि में से वादी, प्रतिवादीया संख्या 1 व 2 व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 9 ता 11 प्रत्येक के 1/42 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 3 ता 7 प्रत्येक के 1/210 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है एवं रोही मौजा ढीलकी जाटान तहसील नोहर के खाता संख्या 159/159 के खसरा नं. 119 की कुल 10.7520 है0 भूमि में वादी, प्रतिवादीया संख्या 1 व 2 व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 9 ता 11 प्रत्येक के 1/84 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 3 ता 7 प्रत्येक के 1/420 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा रोही मौजा 11 बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2074–2077 के खाता संख्या 145/291 के कुल खसरे 25 का कुल क्षेत्रफल 6.3250 है0 भूमि में से वादी, प्रतिवादीया संख्या 1 व 2 व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 9 ता 11 प्रत्येक के 1/7 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 3 ता 7 प्रत्येक के 1/35 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है एवं खाता संख्या 272/265 के कुल खसरे [illegible] है0 भूमि में से वादी, प्रतिवादीया संख्या 1 व 2 व तरतीवी प्रतिवादी [illegible] /63 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 3 ता 7 प्रत्येक के 1/315 हिस्सा [illegible] है, वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो से उक्त वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि होना साबित है। वादी [illegible] कथन है कि वाद भूमि वर्तमान में वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 ने अपना हक

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:05:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

हिस्सा वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 9 ता 11 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 व तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 9 ता 11 को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 12 जीजीएम तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2076–2079 के खाता संख्या 68/39 के कुल खसरे 124 की कुल तादादी 26.5650 है0 भूमि एवं रोही मौजा 10 जीजीएम तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–2074 के खाता संख्या 68/66 के कुल खसरे 31 का कुल क्षेत्रफल 4.4210 है0 भूमि एवं रोही मौजा ढीलकी जाटान तहसील नोहर के खाता संख्या 159/159 के खसरा नं. 119 की कुल 10.7520 है0 भूमि तथा रोही मौजा 11 बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2074–2077 के खाता संख्या 145/291 के कुल खसरे 25 का कुल क्षेत्रफल 6.3250 है0 भूमि एवं खाता संख्या 272/265 के कुल खसरे 49 का कुल क्षेत्रफल 9.5140 है0 भूमि उपरोक्त सभी खातो में प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 का नाम कलमजन किया जाकर वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 9 ता 11 को ब0 हि0 ब0 का बतौर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं 11 बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 272/265 में तरतीबी प्रतिवादी संख्या 9 एवं 10 का नाम मुताबिक शीर्षक पूर्व में दर्ज भूमि में दुरूस्त किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 18/10/2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:05:43 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण R.A.S)
सहायक कलक्टर (राजस्व)
एवं प्रशासनिक कलक्टर
नोहर

Scanned with CamScanner